भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2154

उत्तर देने की तारीख: 12.05.2016

एसपीक्यूएम और आईडीएमआई के अंतर्गत
राज्यों द्वारा सहयोग नहीं दिया जाना

2154. श्री गुलाम रसूल बलियावीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूएम) और अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसरंचना का विकास (आईडीएमआई) योजनाओं के अंतर्गत संवितरित/व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग नहीं दे रही हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
(घ) क्या यह भी सच है कि इन योजनाओं के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल तथा समय लेने वाली है; और
(ङ) यदि हां, तो इसे सरल बनाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान संवितरित निधि के ब्यौरे संलग्नक पर दिए गए हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि यह वित्तीय वर्ष की शुरूआत है।

(ख) और (ग): इस मंत्रालय के ध्यान में राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं के कार्यान्वयन में असहयोग की ऐसी कोई घटना नहीं आई है। एसपीक्यूईएम तथा आईडीएमआई मांग आधारित योजनाएं हैं और राज्य सरकारों से प्राप्त व्यावहारिक प्रस्तावों पर निर्भर करती है।

(घ) और (ड.): जी, नहीं। स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग ने वर्ष 2015-16 के दौरान सभी राज्यों में एसपीक्यूईएम तथा आईडीएमआई के दिशा-निर्देशों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए अनेक प्रयास किए। हितधारकों में सूचना के प्रसार के लिए 09.10.2015 को राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। विभाग ने राज्य सरकारों को निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवहार्य प्रस्ताव भेजने के प्रति सुग्राह् बनाने के उद्देश्य से 22.12.2015 तथा 29.02.2016 को दो बैठकें भी कीं ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकतम लाभ दिए जा सकते हैं। विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि राज्य वर्ष के आरंभ में मदरसों की सूची सहित यू-डीआईएसई अथवा एकमात्र कोड से एक ही समूह में स्वत: अपने प्रस्ताव भेज दें ताकि योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी का पर्याप्त समय मिल सके तथा पुनरावृत्ति से भी बचा जा सके।

*****

संलग्नक

"एसपीक्यूएम और आईडीएमआई के अंतर्गत राज्यों द्वारा सहयोग नहीं दिया जाना'' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री श्री गुलाम रसूल बलियावी द्वारा दिनांक 12.05.2016 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2154 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक।

एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई के अंतर्गत 2013-14 से 2015-16 तक वितरित/वहन की गई निधि दर्शाने वाला विवरण।

(रूपए लाख में)

वर्ष	**एसपीक्यूईएम**	**आईडीएमआई**
2013-14	18273.38	2498.99
2014-15	10782.9	1144.71
2015-16	29450.74	130.85

*****